प्रेस नोट दिनांक 19-09-2020

थाना सदर बाजार, सहारनपुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा 04 वर्षों से मफरुर 25000/-रूपये का ईनामी अभियुक्त दानिश गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामदः-

अवगत कराना है, कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर इनामियां/फरार अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय, सहारनपुर के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 19/09/2020 को प्रातः समय 09.30 बजे थाना सदर बाजार पुलिस, सर्विलांस टीम, अभिसूचना विंग व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा 04 वर्षो से फरार अभियुक्त दानिश पुत्र फारुख नि0 घाना थाना को0देहात सहारनपुर को मुखबिर की सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैण्ड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त वर्ष-2016 में मा0 न्यायालय में पेशी हेतु ले जाते समय पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 475/16 धारा 222/224 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा 25000/- रु0 का ईनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 302/2017 धारा 174ए भादवि व थाना को0देहात के मु0अ0सं0 02/2012 धारा 302/34 भादवि व मु0अ0सं0 4/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का मफरुर अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास व अवैध हथियार रखने के अभियोग अन्य थानो पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1-दानिश पुत्र फारुख निवासी घाना को0देहात सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1-एक अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0 2/12 धारा 302/34 भादवि को0देहात स0पुर।
2-मु0अ0सं0 04/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट को0 देहात स0पुर।
3-मु0अ0सं0 149/13 धारा 307 भादवि थाना जनकपुरी स0पुर।
4-मु0अ0सं0 475/16 धारा 223/224 भादवि थाना सदर बाजार स0पुर।
5-मु0अ0स0 302/17 धारा 174ए भादवि थाना सदर बाजार स0पुर।
6-मु0अ0सं0 465/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्म0गणो के नाम :-

1-व0उ0नि0 श्री नीशू तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर मय टीम।
2-उ0नि0 श्री अजब सिह प्रभारी सर्विलास सेल सहारनपुर मय टीम।
3-उ0नि0 अजय प्रसाद गौड प्रभारी अभिसूचना विंग सहारनपुर मय टीम।
4-उ0नि0 श्री जयवीर सिह प्रभारी स्वाट सहारनपुर मय टीम।
5-उ0नि0 श्री धीरेन्द्र सिह थाना सदर बाजार सहारनपुर।

<u>प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19–09–2020</u>

<u>थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा सोशल मीड़िया प्लेटफार्म (व्हाट्सअप) पर मा0 प्रधानमंत्री जी के विषय में अभद्र एवं अमानवीय टिप्पणी का समर्थन करने वाले अभियुक्त को मोबाइल फोन (MI कम्पनी) सहित किया गिरफ्तारः–</u>

अवगत कराना हैं, कि दिनांक 17–09–2020 को श्री अनुज सैन पुत्र नीतूराम निवासी ग्राम व थाना मिर्जापुर, सहारनपुर द्वारा थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्हाट्सअप ग्रुप पर मा0 प्रधानमंत्री जी के विषय में अभद्र एवं अमानवीय टिप्पणी करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीरी सूचना दी गई। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 293/2020 धारा 505(2)/504 भादवि व धारा 67(ए) सूचना प्रौधोगिकी (संशोधन) अधिनियम 2000 पंजीकृत किया गया। **थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त तालिब मलिक पुत्र हमीद निवासी बाबेल बुजुर्ग थाना बेहट, सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त प्रकरण के अन्य अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना मिर्जापुर पुलिस को निर्देशित किया गया।

जिसके क्रम में आज दिनांक 19–09–2020 को अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा सोशल मीड़िया प्लेटफार्म **(व्हाट्सअप)** पर मा0 प्रधानमंत्री जी के विषय में अभद्र एवं अमानवीय टिप्पणी का समर्थन करने वाले अभियुक्त राजेश पुत्र स्व0 रामपाल निवासी बहेड़ा कला थाना फतेहपुर, सहारनपुर को जिला अस्पताल, सहारनपुर से समय 10:00 बजे प्रातः एक मोबाइल फोन **(MI कम्पनी)** सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना मिर्जापुर पर अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुये जेल भेजा जा रहा हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–</u>

1–राजेश पुत्र स्व0 रामपाल निवासी बहेड़ा कला थाना फतेहपुर, सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरणः–</u>

1–एक अदद मोबाइल फोन **(MI कम्पनी)**।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः–</u>

1–श्री बिरेशपाल गिरी, प्रभारी निरीक्षक, थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।

2–उ0नि0 श्री सुशील कुमार, थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।

3–आरक्षी 881 मनदीप कुमार, थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।

4–महिला आरक्षी 1310 कविता, थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।